

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्य, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात लघु कालीक व दीर्घ कालीक राहत कार्य हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत एवं दिनांक 11.06.2013 को जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद उत्तरकाशी की समस्त तहसीलों में तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1.	उप जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3.	तहसीलदार	सदस्य
4.	तहसील अन्तर्गत थानाध्यक्ष	सदस्य
5.	तहसील अन्तर्गत चिकित्साधिकारी	सदस्य
6.	तहसील अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7.	तहसील अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8.	तहसील अन्तर्गत सहा०अधि०, लो०नि०वि०	सदस्य
9.	तहसील अन्तर्गत सहा०अधि० सिंचाई	सदस्य
10.	तहसील अन्तर्गत जल संस्थान	सदस्य
11.	तहसील अन्तर्गत पेयजल निगम	सदस्य
12.	तहसील अन्तर्गत एस०डी०ओ०, विद्युत विभाग	सदस्य
13.	तहसील अन्तर्गत एस०डी०ओ०, बी०एस०एन०एल०	सदस्य
14.	तहसील अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
15.	तहसील अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक, जि०पूर्ति०वि०	सदस्य
16.	तहसील अन्तर्गत अधि०अधि०, नगर पालिका/पंचायत	सदस्य
17.	तहसील अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
18.	तहसील अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियों प्रत्येक माह कि निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से बैठक कर तहसील स्तर पर संसाधनों का चिन्हीकरण कर तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजन विकसित करेगी जिसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की जायेगी, जिससे तहसील स्तर पर घटित आपदाओं की संख्या, न्यूनीकरण उपाय तथा समिति द्वारा आपदाओं की रोकथाम हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(डॉ० आर० राजेश कुमार)

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी।



This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7  
Buy now at [www.nitropdf.com](http://www.nitropdf.com) to remove this message

कार्यालय-जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण / जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 423 / 13-28 (2009-10)

दिनांक 13 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4. जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
5. उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत।
8. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/एस0डॉ0ओ0 दूरसंचार विभाग, उत्तरकाशी।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई /विद्युत वितरण खण्ड/जल संस्थान/पेयजल निगम।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी।